ग्राम पंचायत जरवा जुनैली, विकास खण्ड शिलाई ज़िला सिरमौर के
लेखाओं का अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन
अवधि 01.04.2015 से 31.03.2018 तक

भाग-I

1 प्रस्तावना

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने के उपरान्त व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचसी-(5) सी(15) एलएडी/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओ के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सोंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत, जरवा जुनैली, विकास खण्ड शिलाई, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत मे निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे;

(i) प्रधान

क्रमांक	प्रधान का नाम	कार्यकाल
1	श्री रणसिंह	01.04.15 से 16.01.2015 तक
2	श्री रामिया राम	27.01.2015 से 05.07.2015 तक
3	श्री रणसिंह	06.07.2015 से 22.01.2016 तक
4	श्रीमती रक्षा देवी	23.01.2016 से 31.03.18 तक

(ii) सचिव

क्रमांक	सचिव का नाम	कार्यकाल
1.	श्री सूरत सिंह नेगी	01.04.2015 से 16.10.2015 तक
2.	श्री संजीव कुमार	17.10.2015 से 31.03.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत, जरवा जुनैली के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रमांक	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा सं0	राशि (₹) लाखों में
1	रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान न करने के कारण अन्तर	5(i)	0.13
2	गृहकर की बकाया राशि वसूली हेतु शेष	6(ii)	0.12
3	मोबाइल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	6(iii)	0.54
4	अनुदान की राशी का उपयोग न करना	7	34.46
5	औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना ही सामग्री का क्रय करना	8	4.76
6	क्रय की गई सामग्री की स्टोर/स्टॉक में प्रविष्टि न करना	10	2.76

7	निर्माण कार्यों से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	11(i)	89.93
8	मनरेगा योजना के व्यय/भुगतान को रोकड़ बही में दर्ज गणना न करना	12	112.39
9	बिना बिल/वाउचर के राशि का अनियमित आहरण	13	11.70
10	BRGF योजना से सम्बन्धित व्यय का सामान्य निधि से अनियमित भुगतान	14	0.39
11	गृहकर वसूली की राशि को पंचायत कोष में विलम्ब से जमा करना	**15**	0.59
12	नियमानुसार आपूर्तिकर्ता से उचित बिल प्राप्त किये बिना लाखों रूपये का अनियमित व्यय/भुगतान	**16**	2.76

भाग –दो

2 वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत जरवा जुनैली, विकास खण्ड शिलाई, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री राकेश कुमार चौहान, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 31.07.2018 से 06.08.2018 तक के दौरान ग्राम पंचायत जरवा जुनैली के कार्यालय में किया गया। आय एवं व्यय के लेखाओं का विस्तृत अंकेक्षण हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों मे समाविष्ट किया गया है;

वर्ष	आय माह	व्यय माह
2015-16	04/2015	09/2015
2016-17	04/2016	03/2017
2017-18	03/2018	09/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूप पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा तथा अंकेक्षण का दायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत जरवा जुनैली, विकास खण्ड शिलाई, ज़िला सिरमौर के अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क **₹6000** आँका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा

विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला-171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:जी.पी.(आडिट)/शिलाई/2018-19-13 दिनांक 06.08.2018 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत जरवा जुनैली से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थिति

पंचायत सचिव द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत जरवा जुनैली की अवधि 01/04/2015 से 31/03/2018 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है : –

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्तियां (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2015-16	395142.72	3640355.00	4035497.72	3045399.18	990098.54
2016-17	990098.54	10922990.80	11913089.34	9559607.83	2353481.51
2017-18	2353481.51	10424061.00	12777542.51	9331396.60	3446145.91

नोट:-1. सचिव ग्राम पंचायत जरवा जुनैली द्वारा स्वः स्त्रोत का हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4 के अनुसार पृथक से खाता-"क" खोलकर रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया है जिसके अभाव में स्व: स्त्रोत से सम्बन्धित वितीय स्थिति को अलग से तैयार नहीं की जा सकी है |

नोट:-2. रोकड़ बही में मासांत/वर्षांत प्रारम्भिक व अंतिम शेष नहीं दर्शाए गए है अतः बैंक पास बुकों के दिनांक 01/04/15 के प्रारम्भिक शेष को ही वितीय स्थिति का प्रारम्भिक शेष (opening balance) लिया गया |

5 रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान न करने के कारण शेष में ₹0.13 लाख का अन्तर

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान नहीं किया जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप रोकड़ बही **(वितीय स्थिति)** तथा बैंक के अन्त शेष में दिनांक 31/03/2018 को निम्नविवरणानुसार ₹**12,703.50** का अन्तर पाया गया, जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है क्योकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों के साथ मिलान करना अनिवार्य है । अतः उपरोक्त अन्तर बारे छानबीन करके वस्तु स्थिति स्पष्ट करके लेखों में आवश्यक समाधान किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए | भविष्य में रोकड़ बहियों का बैंक खातों के साथ नियमानुसार निरन्तर मिलान करना भी सुनिश्चित किया जाए : –

क्रमांक	विवरण	राशि (₹)	परिशिष्ट
1.	वितीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष	**3446145.91**	1
2.	बचत बैंक खातों अनुसार अन्तिम शेष	**3461399.41**	2
3.	कुल अन्तर	**15253.50**	
4.	बैंक समाधान विवरणी अनुसार अन्तर का समाधान	**(-)2550.00**	**3**

5. समाधान हेतु शेष अन्तर **12703.50**

विभिन्न बचत बैंक खातों में जमा राशि का ब्यौरा

अनुदान	**बैंक का नाम**	**बचत खाता नं**	**राशि (₹) 31.03.2018**
सामान्य निधि	HPSCB, Ronhat	57810100661	910861.21
14th FC	------do------	57810101883	2374222.90
BRGF	------do------	57810100662	175075.50
RAY	------do------	57810101882	423.00
IAY	SBI, Jarwah Junaili	55135570694	288.80
	सामान्य निधि की रोकड़ बही अनुसार हस्तगत शेष		528.00
		31.03.2018 को शेष राशि	**3461399.41**

(ii) हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7 व 29 के प्रावधानों के अनुसार पंचायत द्वारा रोकड़ बही का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था अर्थात इसमें न तो कोई इति शेष और न ही कोई अंतिम शेष दर्शाया गया था । ऐसी स्थिति में बैंक से किए जा रहे लेन देन रोकड़ बही में मौजूद हस्तगत शेष राशि तथा पंचायत द्वारा तैयार की गई आय-व्यय तालिका व तुलनपत्र की मदों की प्रमाणिक स्थिति सत्यापित करना सम्भव न हो पाटा क्योंकि इनमें अनाधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः रोकड़ बही का नियमानुसार संधारण किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

6 स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय

(i) गृहकर की वसूली दरें सक्षम प्राधिकारी से निर्धारित व तदानुसार वसूली न करना

ग्राम पंचायत द्वारा पिछले कई वर्षो से गृहकर वसूली दरों का निर्धारण सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नहीं किया गया है क्योंकि इससे सम्बन्धित कोई भी अभिलेख अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही उक्त कर की प्रतिवर्ष निरन्तर वसूली की जा रही है जैसा कि आगामी पैरा 6(ii) में वर्णित तालिका से स्वतः ही स्पष्ट है वैसे सचिव ग्राम पंचायत जरवा जुनैली द्वारा उनके पत्र **क्रमांक:GP/Jarwah Junaili/Shilai/-2018-19-214** दिनांक 04.08.2018 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान गृहकर की वसूली ₹20 प्रतिवर्ष की दर से की जानी दर्शाई गई है| अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार गृहकर की वसूली दरों को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्धारित करने के उपरान्त तदानुसार गृहकर की वसूली की जानी सुनिश्चित की जाए|

(ii) गृहकर ₹0 . 12 लाख की बकाया राशि वसूली हेतु शेष

सचिव ग्राम पंचायत, जरवा जुनैली के पत्र **क्रमांक:GP/ Jarwah Junaili/Shillai/2018-19-214** दिनांक 04/08/2018 के **क्रमांक 2** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुचना के अनुसार दिनांक 31/03/201 8 को निम्नतालिकानुसार गृहकर **₹12,380** की राशि वसूली योग्य शेष दर्शाई गई है, जिसकी शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

वर्ष	कुल परिवार	वार्षिक दर (₹)	कुल कर (₹)	प्राप्त राशि (₹)	शेष राशि (₹)
01.04.15	**HT due w.e.f. 01.04.2013 to 31.03.2015 @ 20/-**				**35240/-**
2015-16	577	20/-	11540/-	------	46780/-
2016-17	586	20/-	11720/-	58500/-	------
2017-18	619	20/-	12380/-	------	12380/-
गृहकर की वसूली योग्य शेष राशि					**12380/-**

(iii) मोबाइल टावर शुल्क की ₹0.54 लाख वसूली हेतु शेष

सचिव ग्राम पंचायत, जरवा जुनैली के पत्र **क्रमांक:GP/ Jarwah Junaili/ Shilai/2018-19-214** दिनांक 04/08/2018 के **क्रमांक 3** के द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2018 को निम्नतालिकानुसार मोबाइल टावर कम्पनियों से **₹54,000** की राशि वसूली योग्य शेष थी, जिसकी शीघ्र वसूली हेतु ठोस पग उठाए जाने सुनिश्चित किए जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :–

Year of Install.	Company	Installation fees (₹)	Renewal fees (₹)	Period for Renewal fees
2008	**BSNL**	4000/-	10000/-	2009-2013
		------	10000/-	2014-2017
2007	**Airtel**	4000/-	10000/-	2008-2012
		------	12500/-	2013-2017
2010	**Airtel**	4000/-	10000/-	2011-2015
		------	5000/-	2016-2017
		12000/-	**57500/-**	**Amount**
Total Fees due up to 31.03.18 {12000+57500}				**69500**
Less:-Amount received up to 31.03.2015				(-)6000
Less:- Amount received during {2015-16}				(-)4500
Less:- Amount received During {2016-17}				(-)5000
Less:- Amount received During {2017-18}				-------
Amount due/recoverable as on 31.03.2018				**54000**

(iv) आय से सम्बन्धित मांग एवम प्राप्ति पंजिका का संधारण न करना

सचिव, ग्राम पंचायत, जरवा जुनैली द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 व् 74 के प्रावधानों की अनुपालना करते हुए फार्म-10 पर वर्ष के दौरान प्राप्त होने वाली सम्भावित आय से सम्बन्धित "मांग एंवम वसूली पंजिका" का संधारण नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण पंचायत को स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय की उचित स्थिति की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव नहीं हो पाई तथा ऐसे में राही के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता | अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए "मांग एंवम वसूली पंजिका" का संधारण व वास्तविक वसूली योग्य राशि का आकलन करके उसकी वसूली करना भी सुनिश्चित करे, ताकि पंचायत को स्वः स्त्रोत से प्राप्त होने वाली आय की हानि की सम्भावना को टाला जा सके|

7 अनुदान की ₹34.46 लाख का उपयोग न करना

पंचायत सचिव द्वारा **(परिशिष्ट-1)** के माध्यम से उपलब्ध कारवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31/03/2018 तक अनुदानों से प्राप्त **₹2547460** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान की राशि को स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण जहाँ धन का अवरोधन हुआ है वही इस राशि से क्रियान्वयन होने वाली सरकारी योजनाओं के फलस्वरूप होने वाले लाभों से भी ग्रामीणों को वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान या सक्षम अधिकारी से प्राप्त समयावधि की बढ़ौतरी की स्वीकृति के भीतर उसी उद्देश्य हेतु व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाये जिस उद्देश्य हेतु इसे स्वीकृत किया गया है अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाये तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

8 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.76 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया की ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार बिना उप समिति का गठन और कोटेशन/निविदाएं आमंत्रित किए ही चयनित माह में निम्नतालिकानुसार **₹4,76,461** की निर्माण सामग्री का क्रय किया गया है, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(3)(a) 67(4) व 67(5) के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है, जिसे सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में सामग्री का क्रय/व्यय उक्त वर्णित नियमानुसार ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये : –

दिनांक	**बिल सं0**	**आपूर्तिकर्ता का विवरण**	**क्रय सामग्री का विवरण**	**राशि (₹)**
		14th FC-{माह-03/2017}		
27.02.17	GR-132	R.S.Pojta, Panog	1.55Cum Sand	3255/-
27.02.17	GR-133	---do---	579 Bricks	5790/-
------	कच्ची रसीद	Babu Ram, Kinnu	9 Cum Stone	5850/-
29.02.17	GR-137	R.S.Pojta, Panog	1.55Cum Sand	3255/-
29.02.17	GR-138	---do---	579 Bricks	5790/-
------	कच्ची रसीद	Babu Ram, Kinnu	9 Cum Stone	5850/-
28.02.17	GR-134	R.S.Pojta, Panog	1.71Cum Sand	3591/-
28.02.17	GR-135	---do---	1.78Cum Agg.	2492/-
28.02.17	GR-135	---do---	2.40 Cum agg.	2688/-
------	कच्ची रसीद	Babu Ram, Kinnu	5 Cum Stone	3250/-
------	117	Chauhan hardware	Pipe	15750/-
04.02.17	GR-128	R.S.Pojta, Panog	1.65Cum Sand	3232/-
------	कच्ची रसीद	Babu Ram, Kinnu	13 Cum Stone	8450/-
06.02.17	GR-129	R.S.Pojta, Panog	3.77Cum Sand	6031/-
------	कच्ची रसीद	Babu Ram, Kinnu	6 Cum Stone	2770/-
25.02.17	GR-130	R.S.Pojta, Panog	1.65Cum Sand	3234/-
------	कच्ची रसीद	Babu Ram, Kinnu	13 Cum Stone	8450/-
		General Fund-09/2015		
------	कच्ची रसीद	Mangat Ram	10 चट्ठे Stone	18000/-

------	कच्ची रसीद	Surat Singh	2 चट्टे Stone	5000/-
		General Fund-03/2017		
------	GR-18	Ramesh Sons Panog	60 bag agg.	3600/-
30.03.17	53	Chauhan Hardware	500 Kg steel	20000/-
		General Fund-09/2017		
24.08.17	GR-51	Lal Singh Sons Kelvi	17.29Cum stone	51870/-
28.08.17	कच्ची रसीद	Ved Prakash, Dahar	25 चट्टे Stone	25000/-
30.08.17	कच्ची रसीद	Layak Ram Dahar	25 चट्टे Stone	25000/-
28.08.17	GR-52	Lal Singh Sons Kelvi	Sand ------	27213/-
------	कच्ची रसीद	Kewal ram, Jarva	15 Cum Stone	11250/-
24.08.17	131	Dalip singh Contract.	**112JCB hrs.*** **	100800/-
04.09.17	132	---do---	**110JCB hrs.*** **	99000/-
			कुल योग	**476461/-**

{*आगामी पैरा संख्या 9 से सम्बन्धित }**

9 ठेकेदारों के बिलों से वैधानिक कटौतियां किए बिना अनियमित भुगतान करना

(i) अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकास कार्यों हेतु जे.सी.बी को प्रति घंटे के आधार पर किराये पर लेकर उपरोक्त पैरा संख्या 8 वर्णित तालिकानुसार श्री दलीप सिंह, ठेकेदार को संवैधानिक कटौतियां जैसे **आयकर, सेल्स टैक्स, लेबर सेस तथा प्रतिभूति राशि इत्यादि** किये बिना ही **₹1,99,800** का भुगतान किया गया था, जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है जिसका नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा साथ ही अंकेक्षण अवधि में इस प्रकार से किये गए अन्य व्यय/भुगतान सहित को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार से वैधानिक कटौतियां करने के उपरान्त ही ठेकेदारों को भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए|

10 क्रय सामग्री की स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टि न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त पैर संख्या: 8 में वर्णित क्रय निर्माण सामग्री का उपयोग स्टोर/स्टॉक रजिस्टर में गणना किये बिना ही किया जा रहा था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 के अनुसार क्रय सामग्री की स्टॉक रजिस्टर में गणना करना अपेक्षित है| ऐसे में वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता I अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा क्रय की गई प्रत्येक मद की प्रविष्टियाँ खपत विवरण सहित सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में उपरोक्त नियम का सख्ती से पालन करना भी सुनिश्चित किया जाए|

11 अंकेक्षण हेतु अभिलेख प्रस्तुत न करना

(i) निर्माण कार्यों पर खर्च ₹89.93 लाख से सम्बन्धित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन तकनीकी मुल्यांकन इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 व 95 की अनुपालना में ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह में निष्पादित ₹8992708 के विकास कार्यो से सम्बन्धित प्राक्कलन, प्रशासनिक अनुमोदन, व तकनीकी स्वीकृति, तकनीकी मुल्यांकन कार्य, पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र व उपयोगिता प्रमाण-पत्र इत्यादि अभिलेख अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किये गये, जिसकी अनुपस्थिति में निर्माण कार्यों पर खर्च की गई राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I अतः वर्णित अनियमितता का औचित्य स्पष्ट की जाए तथा अपेक्षित अभिलेख आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए :–

अनुदान	**अमुल्यांकित भुगतान (₹)**	**विकास कार्य सूची क्रमांक**
GENERAL HEAD	857602/-	क्रमांक 1 से 4
14th FC	330416/-	क्रमांक 1 से 8
BRGF	442154/-	क्रमांक 1 से 3
TSC	199030/-	क्रमांक 1
MGNREGA	7163506/-	क्रमांक 1 से 46
कुल राशि	**₹8992708/-**	**केवल चयनित माह के कार्य का**

(ii) मनरेगा योजना से सम्बन्धित अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना

मनरेगा योजना से सम्बन्धित अभिलेख जैसे कार्य मांग पञ्जीका {Demand Register}, जॉब कार्ड पञ्जीकरण रजिस्टर, मस्ट्रोल जारी करने का रजिस्टर, निर्माण सामग्री जारी करने का रजिस्टर, सम्पति रजिस्टर इत्यादि अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए, जिसके कारण मनरेगा से व्यय राशि का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका I अतः उक्त अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा समस्त अभिलेख को आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

12 मनरेगा योजना के अन्तर्गत खर्च ₹112.39 लाख को रोकड़ बही में दर्ज/ गणना न करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान मनरेगा योजना के अंतर्गत विभिन्न विकास कार्यों पर खर्च की गई राशि से सम्बन्धित रोकड़ बही अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जबकि योजना से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई **Online Financial Statements** के अनुसार निम्नतालिकानुसार **₹1,12,38,550** का ऑनलाइन भुगतान किया गया था जिसको आधार मानकर ही पंचायत की निम्न विवरणानुसार वितीय स्थिति तैयार की गई है |अतः उक्त वर्णित अभिलेख को पूर्णतः तैयार कर आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करने तथा भविष्य में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित बजट लेखों संकर्म कराधान व भते) नियम 2002 के नियम 7 की अनुपालना करते हुए **{Online/Manual}** रोकड़ बही का संधारण करना भी सुनिश्चित किया जाए :–

वितीय वर्ष	**मजदूरी (₹)**	**सामग्री (₹)**	**कुल भुगतान (₹)**
2015-16	1308150/-	490804/-	1798954/-
2016-17	3046201/-	1386824/-	4433025/-
2017-18	2974712/-	2031859/-	5006571/-
Total:-	**7329063/-**	**3909487/-**	**11238550/-**

13 बिना बिल/वाउचर के ₹11.70 लाख का अनियमित आहरण/भुगतान

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख का चयनित आधार पर अवलोकन करने के दौरान पाया गया कि निम्नतालिका अनुसार **₹11,70,449** के आहरण/भुगतान से सम्बन्धित व्यय वाउचर अभिलेखों में मौजूद नहीं थे और न ही अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किये गये, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (i) व् (2) के प्रावधानों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर वितीय अनियमितता है तथा ऐसे में दर्शाया गया व्यय/भुगतान संदिग्ध प्रतीत होता है जिसके कारण आहरित राशि के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता I इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP (Audit)/Shilai/Jarwah Junaili/2018-19-4 दिनांक 04.08.2018 के क्रमांक 3 के प्रतिउत्तर में सचिव ग्राम पंचायत जरवा जुनैली ने पत्र संख्या:GP/Jarwah Junaili/Shilai/2018-19-215 दिनांक 06.08.2018 के क्रमांक 3 द्वारा सूचित किया कि वर्णित व्यय वाउचर सम्बन्धित से प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत कर दिए जाएंगे, जोकि तर्कसन्गत व् सन्तोषजनक प्रतीत नहीं होता | अतः यह गम्भीर अनियमितता विभाग के उच्च अधिकारियों के संज्ञान में विभागीय स्तर पर पूर्ण छानबीन करने हेतु लाई जाती है तथा तदोपरान्त वर्णित आहरण/भुगतान वास्तविक न पाए जाने की स्थिति में निम्न राशि तथा इस प्रकार से आहरण की गई अन्य राशियों सहित की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए : –

दिनांक	विवरण	राशि (₹)	CBP
	{14th FC}		
03.2017	निर्माण DWSS दवाला खाला से सुन्याडी	15750/-	5
	सामान्य निधि		
09.2017	निर्माण साँझा प्रांगण, जरवा	11250/-	62
	{MGNREGA}		
03.09.15	C/O LDW Amar Singh, Bhangadi	16750/-	OFS
11.09.15	Irrigation Tank Mirju Ram, Kinnu	14754/-	-do-
11.09.15	Soil Conservation P/W GPS, Pab	5200/-	-do-
11.09.15	C/O Playground GPS, Dariyadi	27720/-	-do-
16.09.15	------do------	8000/-	-do-
16.09.15	Soil Conservation Work, Banwa	11200/-	-do-
16.09.15	LDW Joginder Singh Dahar	5400/-	-do-
07.03.17	Soil Cons. work, Navyuvak Mandal	30330/-	-do-
---do---	Chek dam Gully Plug Kinnu	30330/-	-do-
---do---	Chek Dam at Kelvi	30330/-	-do-
---do---	C/O Soil Cons. Manila	36396/-	-do-
---do---	C/o Soil Cons. Work, Bawala	30330/-	-do-
---do---	Irrigation Kuhal Pab Khala	30330/-	-do-
---do---	Irrigation Tank Mirju Ram, Kinnu	17304/-	-do-
---do---	Pakki Galli Kelvi.	30330/-	-do-
---do--	Pakki Galli Suniyadi.	30330/-	-do-
---do---	------do-----	35200/-	-do-
---do---	Pakki Galli Jubiyalidhar	36396/-	-do-
---d0---	------do------	38080/-	-do-

---do---	Pakka Rasta Bawala to Dahar	30330/-	-do-
---do---	Pakka Rasta Adward to Sui	21231/-	-do-
---do---	Pakki Galli and Nali Pab	24264/-	-do-
---do---	Pakki Galli Kulaph	30330/-	-do-
---do---	------do------	42000/-	-do-
---do--	Pakki Galli Jarva-II	30330/-	-do-
07.03.17	Material purchased for IHHL works	196954/-	-do-
13.09.17	Soil Cons. Work Navyuvak Mandal	30330/-	-do-
---do---	Soil Conservation work, chiyathi	30330/-	-do-
---do---	Check dam Gully Plug, Kinnu	45495/-	-do-
---do---	C/O check Dam at Kelvi	30330/-	-do-
---do---	Soil Cons.& P/W at Manila	30330/-	-do-
---do---	C/O Soil Cons. Work, Bawala	30330/-	-do-
---do---	Irri. Kuhal Pab Khala to Paghara	45495/-	-do-
---do---	C/O Pakka Rasta GPS Morach	60660/-	-do-
	Total Payment	**₹1170449**	

{OFS:- Stands for Online Financial Statements}

14 BRGF योजना से सम्बन्धित ₹0.39 लाख के व्यय का सामान्य निधि से अनियमित भुगतान करना

सामान्य निधि खाते की रोकड़ बही के पृष्ठ संख्या:49 पर माह 03/2017 में BRGF योजना से सम्बन्धी निर्माण कार्य सुरक्षा दिवार खेल मैदान जुब्यालीधर पर खर्च ₹38,609 का भुगतान किया गया था जोकि अनियमित है I इस सन्दर्भ में जारी उक्त बारे ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Shilai/Jarwah Junaili/2018-19-4 दिनांक 04 .08.2018 के क्रमांक 3 के प्रत्युतर में सचिव, ग्राम पंचायत के पत्र संख्या:GP/Jarwah Junaili/Shilai/2018-19-215 दिनांक 06.08.2018 के क्रमांक 2 द्वारा प्राप्त आश्वासन अनुसार उक्त राशि BRGF खाते से सामान्य निधि खाते में हस्तांतरित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

15 गृहकर से प्राप्त ₹0.59 लाख को पंचायत कोष में विलम्ब से जमा करना

चयनित माह में स्वः स्त्रोत से प्राप्त आय का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया किनिम्नतालिकानुसार गृहकर से प्राप्त आय को 29 दिन से 52 दिन तक के लम्बे अन्तराल तक अपने पास रखने के उपरान्त पंचायत कोष में जमा करवाया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर वितीय अनियमितता है तथा ऐसे में पंचायत निधि का अस्थायी दुर्विनियोजन हुआ प्रतीत होता है |अतः उक्त राशि को पंचायत कोष में नियमानुसार जमा न करने बारे तथ्यों सहित वस्तुस्थिति स्पष्ट की जाए, अन्यथा उक्त राशि पर सम्बन्धित से नियमानुसार दण्ड ब्याज की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्राप्त आय को नियमानुसार उसी कार्य दिवस या अगले कार्य दिवस को पंचायत कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए :-

रसीद बुक संख्या	वसूली गई राशि (₹)	वसूली की तिथि	पंचायत कोष में जमा करने की तिथि	जमा करने में विलम्भ {दिवस}
225401-500	10000/-	19.02.16	05.04.16	45 दिन
225601-700	10000/-	26.02.16	05.04.16	38 दिन

225701-739	3800/-	01.03.16	05.04.16	34 दिन
225740-800	6100/-	04.03.16	05.04.16	31 दिन
225027-100	7400/-	12.02.16	05.04.16	52 दिन
225227-300	7400/-	13.02.16	05.04.16	51 दिन
225303-339	3400/-	06.03.16	05.04.16	29 दिन
225341-391	5100/-	15.02.16	05.04.16	49 दिन
1037/48-100	5300/-	14.02.16	05.04.16	50 दिन
कुल राशि	**₹58500/-**			

16 उचित बिल की अपेक्षा कच्ची रसीद व् Goods Receipts Note पर दर्शाया गया लाखों रूपये का अनियमित व्यय/भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्, बजट, लेखों, संकर्म कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 47 (i) व् (2) के प्रावधानों के विपरीत पंचायत द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या:8 में वर्णित विवरण के अनुसार लाखों रूपये की रेत, बजरी व् पत्थर की खरीद का भुगतान आपूर्तिकर्ता को कोरे कागज पर तैयार कच्ची रसीद या Goods Receipts Note{GR} को पारित करके किया गया था, जोकि आपूर्तिकर्ता के उचित बिल के अभाव में अनियमित होने के साथ-साथ संदिग्ध भी प्रतीत होता है |अतः उक्त प्रकरणों की पंचायत द्वारा अपने स्तर पर गहन छानबीन की जाए तथा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए या तो आपूर्तिकर्ता से उक्त भुगतान तथा इस प्रकार के अन्य सभी प्रकरणों से सम्बन्धित उचित बिल प्राप्त करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा उक्त व्यय भुगतान को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तथा भविष्य के लिए वर्णित अनियमितता की पुनरावृति पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

17 मस्ट्रोल बिलों का प्रतिपादित नियमों के अनुसार अभिलेखन व् अनुरक्षण न करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा मस्ट्रोल बिलों का अभिलेखन व् अनुरक्षण हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 102 (1 से 7) के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा रहा है, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या:GP(Audit)/Shillai/Jarwah Junaili/-2018-19-4 दिनांक 04.08.2018 के क्रमांक (5) द्वारा दर्ज आपति के प्रतिउतर में सचिव ग्राम पंचायत ने पत्र संख्या:GP/Jarwah Junaili/Shilai/2018-19-215 दिनांक 06.08.2018 के क्रमांक 5 द्वारा नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया गया है |अतः नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

18 बजट प्राक्कलन तैयार न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा फार्म-11 मे पंचायत के आय-व्यय प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित है जोकि अंकेक्षण अवधि के दौरान तैयार व् पारित नहीं किए गए थे जिसके कारण पंचायत द्वारा, किया गया व्यय अनियमित है, जिसे अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति प्राप्त कर नियमित करवाया जाए तथा भविष्य मे

बजट प्राक्कलन नियमानुसार तैयार व् पारित करवाकर तदानुसार ही व्यय करना सुनिश्चित किया जाये।

19 प्राप्त अनुदान के लिए रसीद जारी न करना

पंचायत लेखाओं का चयनित आधार पर अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त अनुदान राशियों {मुख्यतः RTGS/Online बैंक प्राप्तियों} की रसीद जारी नहीं की जा रही थी, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को निर्धारित प्रारूप 3 पर रसीद जारी करना आवश्यक है |अतः इस सन्दर्भ में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा भविष्य में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक प्राप्ति हेतु प्रारूप 3 पर रसीद जारी करना सुनिश्चित किया जाए |

20 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 में निर्दिष्ट नियमो की अनुपालना करते हुए पंचायत द्वारा निम्नलिखित रजिस्टरों व् अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया जा रहा था, जोकि गम्भीर अनियमितता है| अतः नियमानुसार अपेक्षित अभिलेख का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए : –

क्रमांक	वान्छित रजिस्टर/अभिलेख का नाम
1.	अनुदानों का विनियोजन रजिस्टर	
2.	रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक में मिलान सारणी	
3.	चल अचल सम्पत्ति का रजिस्टर	
4.	आकस्मिक व्यय रजिस्टर	
5.	अग्रिमों का रजिस्टर	
6.	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	
7.	प्राक्कलन, तकनिकी स्वीकृति तथा प्रशासनिक अनुमोदन रजिस्टर	
8.	मांग व् प्राप्ति रजिस्टर	
9.	स्टेशनरी रजिस्टर	
10.	निर्माण सामग्री स्टॉक रजिस्टर	
11.	इन्वेंटरी रजिस्टर	

21 भण्डार का प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन न करना

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष भौतिक सत्यापन किया जाना अपेक्षित है, जिसकी अनुपालना नहीं की जा रही थी I अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

22 **लघु आपत्ति विवरणिकाः-** यह पृथकता से जारी नही की गई थी तथा सभी लघु आपतियों का स्थल पर ही निपटारा कर लिया गया था ।

23 **निष्कर्षः-** लेखों में सुधार की नितान्त आवश्यकता है|

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(x)35/2018 खण्ड–1–12–15 दिनांक 2.1.2019 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर हि0प्र0

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड शिलाई जिला सिरमौर हि0प्र0

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत जरवा जुनैली, विकास खण्ड शिलाई जिला सिरमौर (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881